श्रम न्यायालय में लंबित मामले

1783. श्री ईश दत्त यादव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रम न्यायालयों की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार श्रम न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए श्रम न्यायालयों तथा मामलों की निपटाने के लिये निर्धारित किए गए लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) बढ़ते जा रहे बकाया मामलों को निपटाने के लिए राज्यों के परामर्श से तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बिहार में बाल श्रमिक

1784. श्री जनार्दन यादव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल-श्रम व्यवस्था के उन्मूलन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) बिहार के ऐसे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक इस व्यवस्था से मुक्ति दिला दी गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि बिहार में लाखों बच्चे विभिन्न जोखिम वाले उद्योगों में काम कर रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सभी व्यवसायों और उद्योगों से बाल श्रम के उन्मूलन की संकल्पना है। सरकार ने बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत, बिहार राज्य में 174 विशेष स्कूलों के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत 12,200 बच्चों को परिधि में लेते हुए आठ बाल श्रम परियोजनाएं संस्वीकृत की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 10,094 बच्चों को परिधि में लेते हुए अब तक 173 स्कूल खोले गए है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में श्रम जीवी बच्चों की कुल संख्या 9.42 लाख थी। बिहार राज्य में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों की संख्या की जानकारी नहीं है।

Welfare of UNORGANISED Labour-Force

1785. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the total estimated strength of unorganised labour and the total labour force in the country during the last three years, with State-wise breakup;

(b) the details of steps taken during the same period to protect and promote the interests of unorganised workforce in the country;

(c) the details of schemes formulated fresh policy initiatives taken for protecting/promoting the interests of unorganised labour, State-wise; and

(d) the details of agenda/action plan formulated for implementation during 1997-98?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (d) The total work force in the country is about 315 million out of which unorganised sector constitutes about 90%. Year-wise and State-wise information about the unorganised labour is not maintained. Most of the Labour Laws apply to workers in the organised as well as unorganised sectors. Minimum Wages Act is an important piece of social-legislation meant to safeguard the interest of workers in the unorganised sector. Additionally, for certain categories of unorganised workers, the Government have estab-

lished Welfare Funds to address concerns in areas like health, housing, social security, educational and recreational facilities etc.

To improve the working conditions of construction workers and to provide minimum social security for them, the following two laws concerning construction workers have recently been enacted:
(i) The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

(ii) The Building and other Construction Workers (Welfare Cess) Act, 1996.

गुजरात में बेरोजगार व्यक्ति

1876. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला:**
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं योजना के अंत तक गुजरात में जिलेवार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के संबंध में उपलब्धि क्या रही है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए कोई नीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) सातवीं योजना के अंत में बेरोजगारी के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1987-88 एवं 1993-94 के दौरान गुजरात में बेरोजगारी की दर क्रमशः 2.57% तथा 1.89% थी। जिला-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के अनुसार गुजरात में वर्ष 1987-88 के दौरान जो रोजगार 14.7 मिलियन था वर्ष 1993-94 के दौरान बढ़कर 16.8 मिलियन हो गया।

(ग) और (घ) नौवीं योजना का परिकल्पित दृष्टिकोण पर्याप्त उत्पादक रोजगार के सृजन तथा गरीबी के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषीय तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर की प्रकृति वाले क्षेत्रों में श्रम गहन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा तकनीकों पर सकेन्द्रण से स्वतः ही विकासात्मक प्रक्रिया में उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा। नौवीं योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना का कार्यान्वयन भी किया जाएगा।

असंगठित श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति

1787. **श्री राम जेठमलानी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में नियमित एवं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में असंगठित और अनियमित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित और अनियमित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित और नियमित क्षेत्र के समान वेतन व कार्य संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) संगठित क्षेत्र में कर्मकारों की आर्थिक और सामाजिक दशा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की अपेक्षा सामान्यतया बेहतर है। अधिकांश श्रम कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों पर लागू होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के हिसाब से सामाजिक विधान का एक महत्वपूर्ण खंड है। इसके अतिरिक्त असंगठित कर्मकारों की कतिपय श्रेणियों के लिए सरकार ने स्वास्थ्य, मकान, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं आदि जैसे क्षेत्रों में आने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए कल्याण निधियों की स्थापना की है।

निर्माण कर्मकारों की कार्य दशाओं को सुधारने और उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निर्माण कर्मकारों से संबंधित निम्नलिखित दो कानून हाल ही में अधिनियमित किए गए हैं।

(i) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996